उत्तर प्रदेश शरीर रचना परीक्षण अधिनियम, 1956

(उ0 प्र0 अधिनियम सं0 6, सन् 1957)

THE UTTAR PRADESH ANATOMY ACT, 1956

(U.P. Act No. VI of 1957)

उत्तर प्रदेश शरीर रचना परीक्षण अधिनियम, 1956[1]

[उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1957]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 20 अक्टूबर, 1956 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 21 दिसम्बर, 1956 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

———————

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 14 जनवरी, 1957 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 जनवरी, 1957 ई0 को प्रकाशित हुआ।)

शरीर–रचना–शास्त्र सम्बन्धी परीक्षण तथा चीरफाड़ (dissection) के निमित्त चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के लिए अनभियाचित शवों के संभरण (supply of unclaimed bodies) की व्यवस्था करने का

अधिनियम

वह इष्टकर है कि शरीर–रचना–शास्त्र सम्बन्धी परीक्षण तथा चीरफाड़ के निमित्त चिकित्सा–शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के लिए अनभियाचित शवों के संभरण की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शरीर रचना परीक्षण अनिधनियम, 1956 कहलाएगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त हो जायेगी तथा इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस दिनांक को तथा उस क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति[2] प्रकाशित करके तदर्थ निर्दिष्ट करे।

परिभाषाएं

2–(1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:–

(क) "प्राधिकृत" पदाधिकारी से तात्पर्य है धारा 5 के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी;

(ख) "चिकित्सा संस्था" से तात्पर्य है कोई अस्पताल या चिकित्सा संस्था अथवा शैक्षिक संस्था (medical or teaching institution) जो शरीर रचना शास्त्र सम्बन्धी परीक्षण एवं चीरफाड़ या दोनों के निमित्त, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस रूप में, राज्य सरकार द्वारा स्थापित, संधारित अथवा अभिज्ञात (established, maintained or recognized) हो;

(ग) "सम्बन्धी" से तात्पर्य है मृतक के निम्नलिखित सम्बन्धी अर्थात् पत्नी, पति, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो मृतक से–

(अ) पिता/पितामहादि क्रमीय एकरक्तता (lineal consanguinity) की दशा में 6 पीढ़ी तक अथवा सापेन्ड एकरक्तता (collateral consanguinity) की दशा में बारह पीढ़ी तक; अथवा

(ब) इस खण्ड में निश्चित रूप से (specifically) उल्लिखित किसी सम्बन्धी के साथ अथवा उपर्युक्त पीढ़ियों तक के किसी भी सम्बन्धी के साथ विवाह होने के कारण ; अथवा

(स) गुरू शिष्य परम्परा में तीन पीढ़ी तक सम्बद्ध हो।

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 29 अगस्त 1956 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

2. विज्ञप्ति संख्या 2037/(1)–ए/V–507–1957, दिनांक 3 अप्रैल, 1957 के द्वारा अधिनियम की धारायें2 से 11 जिला कानपुर उन्नाव, जालीन, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, इलाहाबाद, फतेहपुर,प्रतापगढ़, मिर्जापुर आगरा, झाँसी, मथुरा, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत तथा अलीगढ़ जिलों में 15 अप्रैल 1959 से प्रवृत्त हुई।

स्पष्टीकरण– पद "पिता/पितामहादि क्रमीय तथा सपिण्ड एकरक्तता" का अर्थ वहीं होगा, जो इंडियन सक्सेशन ऐक्ट, 1925 में पद "lineal and collateral consanguinity" को दिया गया है ; **एक्ट संख्या 29, 1925**

(घ) "नियत" से तात्पग्र इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है।

(ङ) "राज्य सरकार" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है; तथा

(च) "शव" का तात्पर्य मनुष्य के शव से है।

(2) किसी भी मृत व्यक्ति का शव अनभियाचित (unclaimed) समझा जायगा यदि उस व्यक्ति का कोई भी सम्बन्धी न हो, अथवा उस अवधि के भीतर जा तदर्थ नियत की जाये, उसके किसी भी सम्बन्धी, मित्र परिचारक द्वारा उसका शव अभियाचित न किया जाय।

धारा 4 के अधीन कार्य करने के निमित्त पदाधिकारियों को अधिकृत करने का राज्य सरकार का अधिकार

3–राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रचलित हो, अथवा उसके किसी भाग के निमित्त एक या एकाधिक ऐसे पदाधिकारी प्राधिकृत कर सकती है, जिनके पास धारा 4 के अधीन प्रतिवेदन (report) दिया जायगा तथा जो उक्त धारा के अधीन कार्य करने के निमित्त सक्षम होंगे।

4–जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी अस्पताल या जेल में हो जाय तथा उसका शव अनभियाचित रहे तो यथास्थिति ऐसे अस्पताल या जेल का अवधायक प्राधिकारी (authority in charge) तत्काल प्राधिकृत पदाधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा जो उसे धारा 5 में उल्लिखित रीति से निस्तारित करेगा।

5–(1) प्राधिकृत पदाधिकारी, उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति के अनभियाचित शव की दशा में जो––

(क) किसी अस्पताल या कारावास में मरे ; अथवा

(ख) किसे ऐसे सार्वजनिक स्थान में मरे, जो उसका निवास स्थान न हो;

अथवा

(ग) अपने शव को शरीर–रचना सम्बन्धी परीक्षण तथा चीरफाड़ के निमित्त लिखित रूप से समर्पित करने के पश्चात् मरे;

उसके अनभियाचित शव पर कब्जा कर लेगा तथा उसे शरीर–रचना–शास्त्र सम्बन्धी परीक्षण या चीरफाड़ के लिए अपेक्षा करने वाली चिकित्सा संस्था को सौंप देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में प्राधिकृत पदाधिकारी, यदि उसे यह मालूम हो जाये कि मृतक का कोई सम्बन्धी जीवित है और वह नियत अवधि के भीतर ऐसे कारणों से शव की अभियाचना नहीं कर सका है जो उसके वश में न थे, शव को मृतक के धर्म से सम्बद्ध ऐसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक संस्था को सौंप देगा जो नियत की जाय।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति का अनभियाचित शव, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व यह घोषित कर दिया हो कि उसका शव शरीर रचना सम्बन्धी परीक्षण अथवा चीरफाड़ अथवा दोनों, के काम में न लाया जाय, प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा मृतक के धर्म से सम्बद्ध ऐसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक संस्था को सौंप दिया जायेगा, जो नियत की जाय।

(3) प्राधिकृत प्राधिकारी–

(क) मृतक की मृत्यु के कारण के विषय में कोई सन्देह होने पर तथा अन्य किसी स्थिति में जब उसकी राय में ऐसा करना इष्टकर हो, अनभियाचित शव को कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 104 में तदर्थ निर्दिष्ट रीति से निस्तारित करेगा; **ऐक्ट 5, 1898**

(ख) ऐसी दशा में जब किसी चिकित्सा संस्था के अवधायक प्राधिकारी को शरीर रचना सम्बन्धी परीक्षण या चीरफाड़ या इन दोनों कार्यों के निमित्त अनभियाचित शव की अपेक्षा न हो तो उस शव का निस्तारण ऐसी रीति से कर देगा, जो नियत की जाय।

सम्बन्धी होने के विषय में शंका या विवाद

6–जब इस विषय में कोई शंका या विवाद उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति मृतक का सम्बन्धी है या नही ंतो यह मामला किसी ऐसे पदाधिकारी को अभिदिष्ट कर दिया जायगा, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे तथा इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा, तथा ऐसा निर्णय होने तक, शव सड़ने से उस रीति से रक्षित रक्खा जायगा, जो नियत की जाय।

दंड

7–यदि कोई व्यक्ति किसी अनभियाचित शव को इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के सिवाय अन्य किसी रीति से निस्तारित करता है या उसके निस्तारण में सहायक होता है (abets) अथवा किसी चिकित्सा संस्था के अवधायक प्राधिकारी (authority in charge) अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी को इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रयोजनों के निमित्त ऐसा शव सौंपने, उसका कब्जा लेने या उसे हटाने या उसका उपयोग करने में बाधा डालता है तो वह दोष सिद्ध होने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो पांच सौ रूपए तक हो सकता है।

अनभियाचित शवों पर कब्जा पाने में सहायता देने के सम्बन्ध में पुलिस तथा अन्य पदाधिकारियों का कर्तव्य

8–इस अधिनियम के अधीन अधिकृत किसी प्राधिकारी अथवा पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन में ऐसी सहायता और सहयोग दिया जायगा जैसा कि वह पुलिस, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों और स्थानीय निकायों (Local bodies) जिनमें ग्राम सभायें भी शामिल हैं, के समस्त पदाधिकारियों और सेवकों से उचित रूप से अपेक्षा करेगा।

इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की रक्षा

9–इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से की गई अथवा की जाने के लिए अभिप्रेत किसी बात के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

पदाधिकारी 'पब्लिक सर्वेन्ट' समझे जायेंगे

10–इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अथवा प्राधिकृत समस्त पदाधिकारी इंडियन पेनल कोड, 1860 की धारा 21 के अर्थ में "पब्लिक सर्वेन्ट" समझे जायेंगे।

नियम बनाने का अधिकार

11–(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, तथा पूर्वोक्त अधिकारो की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए, इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) वह अवधि, जिसके भीतर कोई समबन्धी शव अभियाचित कर सकेगा;

(ख) वह अवधि, जिसके पश्चात् शव अनभियाचित समझा जायगा;

(ग) धारा 5 के अधीन अनभियाचित शव के निस्तारण की प्रक्रिया;

(घ) वे शर्तें जिनके अधीन धारा 5 की उपधारा (1) और (2) के प्रयोजनों के निमित्त संस्थाओं को अभिज्ञात किया जायगा ;

(ड.) वह रीति, जिससे अनभियाचित शव सड़ने से रक्षित रखा जायगा ;

(च) धारा 6 के अधीन कार्यवाहियां करने की प्रक्रिया ; और

(छ) वे विषय जो नियत किए जाने वाले हों और नियत किए जायं।

(3) (अ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किए जायेंगे और यदि कोई दूसरा दिनांक नियत न किया गया तो जिस दिन प्रकाशित होंगे उसी दिन से लागू हो जायेंगे–

(ब) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम यथाशीघ्र चौदह दिन के लिए विधान मण्डल के समक्ष रक्खे जायेंगे और उन परिष्कारों के अधीन होंगे, जो विधान मण्डल उनमें करे।